



159009 - वह एक बाल विहार में काम करती है जिसमें महीने में एक बार सूअर का मांस दिया जाता है

---

**प्रश्न**

मैं कनाडा में बाल विहार में एक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करती हूँ, वे उसमें महीने में एक बार खाना देते हैं जिस में सूअर का मांस होता है, जबकि ज्ञात रहे कि मैं स्वयं वह खाना बच्चों को नहीं परोसती हूँ, किंतु मुझे आश्वासन नहीं प्रतीक होता है। मैं जानना चाहती हूँ कि इसके बारे में, तथा उस धन के बारे में जो मुझे मेरे कार्य से प्राप्त होता है (इस्लाम) धर्म का क्या हुक्म (प्रावधान) है ?

**विस्तृत उत्तर**

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और स्तुति केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

यदि इन बच्चों में मुसलमान भी हैं तो बाल विहार को इस निषिद्ध मांस को उन्हें पेश करने की स्वीकृति देना उचित नहीं है, बल्कि प्रशासन पर इसे मुसलमानों से रोकने पर ज़ोर डालना ज़रूरी है।

लेकिन यदि ये बच्चे गैर मुस्लिम हैं, तो वे सूअर का मांस खाना हलाल समझते हैं, और मुसलमानों को उनके ऊपर उनके देश में कोई अधिकार नहीं है।

इस स्थिति में आपके लिए इतना पर्याप्त है कि इस निषिद्ध काम पर सहयोग न करें और न उसमें उपस्थित हों, और ऐसी अवस्था में आपके ऊपर इस काम में रहने में कोई पाप नहीं है।